Email
19/10/16

(राज्य योजना)

बिहार सरकार

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

सं०–6/निदे० एस० सी०ए०टू० टी०एस०पी–06–07/2016– 50

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 19.10.16

विषयः–वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना से पश्चिम चम्पारण के थरूहट क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लिए स्वीकृत 10 आवासीय विद्यालयों में से अनुसूचित जनजाति उप योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत स्वीकृत 100 आसन वाले 5 छात्रावासों का निर्माण कार्य निर्माणाधीन 5 अनुसूचित जन जाति आवासीय विद्यालयों 1–कदमहवा(बगहा–2) 2–बेलसंडी(गौनाहा) 3–धमौरा(गौनाहा) 4–मधुबनी (रामनगर) एवं 5–भिरभीरिया (मैनाटांड) के परिसर में भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–14943(भ0) दिनांक–7.11.2013 द्वारा 100 आसन वाले छात्रावास के लिए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन ₹379.00(तीन करोड़ उनासी लाख रूपये) मात्र की दर से कुल ₹1895.00 लाख (अठारह करोड़ पन्चानवे लाख रूपया) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा निर्माण कार्य बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (बिहार सरकार का उपक्रम), पटना के माध्यम से कराने की स्वीकृति एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2016–17 में अनुसूचित जनजाति उप योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत ₹800.00 लाख (आठ करोड़ रूपया) मात्र के व्यय की स्वीकृति तथा शेष राशि ₹1095.00 लाख (दस करोड़ पन्चानवे लाख रूपया) मात्र आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना मद में उपलब्ध राशि से व्यय की स्वीकृति।

आदेश :– **स्वीकृत।**

2– इन योजनाओं पर निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधानित राशि से व्यय किया जायेगाः–

(क) राज्य योजना भवन निर्माण विभाग के मांग सं0–03 के मुख्य बजट शीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्यशीर्ष–01–कार्यालय भवन–लघु शीर्ष–796–जनजाति क्षेत्र उप योजना–उपशीर्ष–0104– अनुसचित जनजाति के भवन– विषय शीर्ष– 53 01 मुख्य निर्माण कार्य–विपत्र कोड–पी4059017960104 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

इस व्यय शीर्ष की राशि के लिए निकासी पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होगे। वे राशि की निकासी कर बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (बिहार सरकार का उपक्रम), पटना के पी0 एल0 खाता–237 में स्थानान्तरित करेगें।

(ख) अनुसूचित जनजाति उप योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–18 दिनांक–04.06.2015 एवं आवंटनादेश सं0–23 दिनांक–16.06.2015 द्वारा बिहार महादलित विकास मिशन, पटना को पी0 एल0 खाता सं0–PLA-264 में उपलब्ध करायी गयी राशि ₹800.00 लाख (आठ करोड़ रूपया) मात्र से व्यय किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मांग सं0–44 मुख्य बजट शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उपमुख्यशीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–102–आर्थिक विकास–उपशीर्ष–0102–अनुसचित जन जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता–विषय शीर्ष–2701लघु कार्य–3105–सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण–विपत्र कोड–P2225021020102 से राशि उपलब्ध करायी गई है।

इस व्यय शीर्ष की राशि मिशन बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (बिहार सरकार का उपक्रम), पटना के पी0 एल0 खाता–237 में स्थानान्तरित किया जाएगा।

3– अनुसूचित जनजाति छात्रावासों के भवनों का निर्माण कार्य 5 अनुसूचित जन जाति आवासीय विद्यालयों 1–कदमहवा(बगहा–2), 2–बेलसंडी(गौनाहा), 3– धमौरा (गौनाहा), 4–मधुबनी (रामनगर) एवं 5– भिरभीरिया (मैनाटांड) के परिसर में कराया जाएगा। इस आलोक में स्वीकृत्यादेश सं0–18 दिनांक–04.06.15 तथा आवंटनादेश सं0–23 दिनांक–16.06.15 में निर्धारित स्थल को संशोधित किया जाता है।

4– स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक 17–4–1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (बिहार सरकार का उपक्रम) पटना द्वारा राशि व्यय के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे एवं इसकी सूचना अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को भी देगें।

6– छात्रावास के भवनों का निर्माण स्थल प्रबंधन के अनुरूप मानक प्राक्कलन (Model estimate) के तहत किया जायेगा। निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये नक्शा प्राक्कलन तथा निर्धारित मापदण्ड एवं निर्धारित समय सीमा के अन्दर बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (बिहार सरकार का उपक्रम) पटना के माध्यम से कराया जायेगा। राशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वास्तविक व्यय पर ही नियमानुसार सरकारी राशि का व्यय किया जाएगा।

7– इस योजना के लिये नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग होंगे। वे समय–समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गई राशि की उपयोगिता की सूचना अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को भी माहवार उपलब्ध करायेंगे।

8– इस प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

9– इस प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, वित्त विभाग एवं माननीय मंत्री, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग की स्वीकृति प्राप्त है।

10 – इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति प्राप्त है।

11 – इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

12 – कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–4/निदे0 छात्रावास(स्वी0/नि0)–01–42–10/2015 -- 50 पटना,दिनांक– 19.1.16

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव वित्त विभाग, बजट, शाखा/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग/मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना बिहार/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (बिहार सरकार का उपक्रम) पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) संबधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि बिहार महादलित विकास मिशन, पटना के पी0 एल0 खाता सं0–PLA-264 में संधारित राशि बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (बिहार सरकार का उपक्रम), पटना के पी0 एल0 खाता–237 में स्थानान्तरित किया जाए।

(4) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग /संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित उप निदेशक, कल्याण/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकरी/प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

19.1.16
सरकार के सचिव।